न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर

(पीठासीन अधिकारी सांवर मल वर्मा आई0ए0एस0)

अपील संख्या :– 81 / 2014 (धारा 75 भू राजस्व अधि0 1956) (RCMS No.2014/96)

लक्खीराम पुत्र श्री मूलाराम जाति माली निवासी ग्राम मालीपुरा तहसील व जिला भरतपुर जरये मुख्त्यारआम भगवानसिंह पुत्र श्री लक्खीराम जाति माली निवासीग्राम मालीपुरा तहसील व जिला भरतपुर।

.............अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये जिला भरतपुर।

.... रैस्पोडेन्ट

अपील अंतर्गत धारा 75 एल आर एक्ट विरूद्ध आदेश उपखण्डाधिकारी बयाना मु0नं0 05 / 2010 लक्खीराम बनाम सरकार दिनांक 12.4.2014 (136 एल आर एक्ट)

उपस्थितिः–

1. श्री राजेश कुमार सोगरवाल वकील अपीलान्ट।
2. सरकारी पैरोकार रैस्पोडेन्ट।

न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग, भरतपुर

निर्णय

दिनांकः– 31.01.2023

उक्त अपील अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम 1956 उपखण्डाधिकारी भरतपुर के निर्णय दिनांक 12.4.2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि अपीलान्ट द्वारा एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 एल आर एक्ट इस आशय का तहत अदालत के समक्ष पेश किया गया था। गत आराजी खसरा नम्बर 1649 रकबा 14 विस्वा स्थित ग्राम सेवरकलां तहसील व जिला भरतपुर की जमीन गैर मुमकिन आबादी मकबूजा वाशिन्दगान देह शुरू से रही है। आराजी पर अपीलान्ट के पूर्वजों के समय से मकान बने हुये है जिनमें रिहायश है। अपीलान्ट अपने परिवार के साथ निवास करता है। हाल सैटिलमेन्ट में इसके नवीन आराजी खसरा नम्बर 2065 / 0.18, 2066 / 0.02 किता–2 रकबा 0.20 है0 बनाये है। जिसकी किस्म भूमि व मिल्कीयत को बदलकर गैर मुमकिन राज0 सरकार दर्ज कर दिया है। यह हाल प्रविष्टि बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश से की गई है। वादग्रस्त आराजी आबादी भूमि होने से ग्राम पंचायत के क्षेत्राधिकार में निहित है। राज्य सरकार में निहित नहीं है। इस गलत इन्द्राज के फलस्वरूप तहसीलदार अपीलान्ट को अपीलान्ट के मकान से बेदखल करने पर आमादा है। तहसीलदार के विरूद्ध दीवानी दावा संख्या 64 / 07 सिविल जज (क0ख0) भरतपुर में पेश किया था जो अपीलान्ट के पक्ष में डिकी हुआ है। इसलिऐ अपीलान्ट द्वारा तहत अदालत के समक्ष यह इस्तदुआ की गई थी कि हाल आराजी खसरा नम्बर 2065–2066 की

31.1.2023

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

जगाबन्दी के कॉलम संख्या 7 भूमि वर्गीकरण की पृविष्ठी को कलमजन कर उसके स्थान पर गैर मुमकिन आबादी दर्ज की जावे। तहत अदालत द्वारा वाद कार्यवाही अपीलाधीन आदेश दिनांक 12.4.2014 पारित कर अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र 136 एल आर एक्ट इस आधार पर खारिज कर दिया कि अपीलान्ट ने ऐसी किसी नकल जमाबन्दी रिकार्ड आफ राईटस को पेश नहीं किया है जिसमें वादग्रस्त गत खसरा नम्बर 1649 गैर मुमकिन आबादी मकबूजा वाशिन्दगान दर्ज हो। साथ ही अपने कथनों के समर्थन में कोई भी दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया। इस आदेश के विरूद्ध अपीलान्ट द्वारा यह अपील पेश की गई है। अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। तहत पत्रावली तलब की गई। रैस्पों0 की ओर से सरकारी पैरोकार उपस्थित हुए। वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने मीमो आफ अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये तर्क दिया कि तहत अदालत का आदेश दिनांक 12.04.2014 विधि विरूद्ध व तथ्यों के विपरीत होने के कारण निरस्तनीय है। तहत अदालत ने आलौच्य आदेश जेर अपील पारित करने से पूर्व साबिक राजस्व अभिलेख का कतई अवलोकन नहीं किया है जबकि साविक रिकार्ड में आराजी मुतनाजा आबादी दर्ज है फिर भी बन्दोवस्त विभाग ने बिना क्षेत्राधिकार के हो रही इन प्रविष्टियों को परिवर्तन कर सिवायचक दर्ज कर दिया है जो अवैध एवं मौके के विपरीत है। इन तथ्यों पर गौर न फरमाते हुये खण्डनाधीन आदेश न्यायालय तहत ने पारित कर दिया है जो विधि विरूद्ध होने के कारण काबिले मंसूखी है। तहत अदालत ने माननीय सिविल न्यायाधीश द्वारा पारित डिक्री व निर्णय की गलत व्याख्या करते हुये आलौच्य आदेश जेर अपील पारित कर दिया है कि विवादित भूमि आबादी भूमि है।कृषि भूमि या राजकीय भूमि नहीं है इस निर्णय से अदालत तहत पाबन्द है फिर भी आलौच्य आदेश कयास के आधार पर पारित कर दिया है जो काबिले निरस्तनीय है। तहत अदालत ने अपीलान्ट द्वारा पेश किये गये प्रार्थना पत्र को धारा 136 एल आर एक्ट की परिधि में ना मानते हुये आलौच्य आदेश जेर अपील पारित किया है जो कतई गलत है। अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में यही अनुतोष चाहा था कि विवादित भूमि पूर्व रिकार्ड में गैर मुमकिन आबादी दर्ज रही है मगर बन्दोवस्त विभाग ने बिना क्षेत्राधिकार के सिवायचक दर्ज कर दिया है जिसे दुरूस्त किया जाकर आबादी दर्ज कर जावे फिर भी न्यायालय तहत ने इन अभिकथनों पर गौर न करते हुये आलौच्य आदेश पारित कर दिया है जो विधि संगत न होने के कारण काबिल खारिजी के है। आलौच्य आदेश जेर अपील में न्यायालय तहत ने यह फाईडिंग क्षेत्राधिकार से परे दी है कि अपीलान्ट अतिचारी है जिसके विरूद्ध तहसीलदार अपीलान्ट के विरूद्ध कार्यवाही 90 ए, 91 एल आर एक्ट करने को स्वतन्त्र है। हस्तगत प्रकरण में अदालत तहत को इस प्रकार की फाईडिंग/निर्देश देने का क्षेत्राधिकार नहीं है विशेषकर उन परिस्थितियों में जब सिविल कोर्ट ने विवादित भूमि को आबादी माना

31.1.2023

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

है। वकील अपीलान्ट ने यह भी तर्क दिया कि अपीलान्ट के पक्ष में ग्राम पंचायत सेवर की ओर से दिनांक 15.05.1986 को मंजूरी दी गई थी जिसका उल्लेख सिविल न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में किया हुआ है परन्तु अदालत मातहत ने इस बिन्दु पर भी गौर नहीं कर मनमाने तरीके से अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है। जो कि नियमों के विपरीत होने के कारण निरस्तनीय है। उक्त अपीलाधीन आदेश की प्रतिलिपि अपीलान्ट को दिनांक 20.5.2014 को प्राप्त हुई। उसके दूसरे ही दिन अपीलान्ट मुख्त्यारआम के पिता अपीलान्ट गम्भीर रूप से बीमार हो गये इनके ईलाज में अपीलान्ट अत्याधिक व्यस्त हो गया । क्यों कि पिताजी बहुत बुजुर्ग है जिनकी उम्र 90 वर्ष के करीब है। जिनका एक मात्र मुझ अपीलान्ट मुख्त्यारआम है। इसके अतिरिक्त अपीलान्ट अशिक्षित व्यक्ति है जो कानून का ज्ञान नहीं रखता है। इसलिऐ अपीलान्ट निर्धारित समय पर अपील पेश नहीं कर सका। दिनांक 24.6.2014 को अपने अधिवक्ता के पास आया तब उन्हौने उक्त कानूनी प्रावधानों का ज्ञान कराते हुये तुरन्त अपील पेश करने की सलाह दी इसलिऐ कानूनी सलाह की तिथि से अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे जिसके लिये पृथक से मियाद अधिनियम की दफा–5 के तहत प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र पेश किया गया है। अतः अपील अपीलान्ट अन्दर मियाद शुमार करते हुऐ अदालत मातहत द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 12.4.2014 निरस्त किया जाकर अपीलान्ट की ओर से राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार किये जाने के आदेश दिये जावे।

वकील अपीलान्ट द्वारा की गई बहस का प्रतिउत्तर देते हुए सरकारी पैरोकार ने तर्क दिया कि तहत अदालत उप जिला कलक्टर भरतपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 12.4.2014 विधिवत कानूनी प्रकिया अपनाई जाकर ही पारित किया गया है। जिसमें कतई किसी प्रकार के कोई हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रहती है। तहत अदालत द्वारा अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन व परीक्षण करने के बाद अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो कि उचित है। अपीलान्ट द्वारा तहत अदालत के समक्ष धारा 136 एल आर एक्ट के प्रार्थना पत्र के समर्थन में समुचित दस्तावेज पेश नहीं किये गये जिससे प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की पुष्टि होती हो। इस संदर्भ में अदालत मातहत द्वारा तहसीलदार से जबाब भी लिया गया। जिसमें उनके द्वारा स्पष्ट किया गया है कि अपीलान्ट ने तहत अदालत के समक्ष ऐसे किसी गत राजस्व रिकार्ड को पेश नहीं किया है जिसमें गत खसरा नम्बर 1649 गैर मुमकिन आबादी प्रमाणित हो। ग्राम पंचायत के क्षेत्राधिकार का भी कोई अभिलेख अपीलान्ट ने पेश नही किया है। हाल खसरा नम्बर 2065/0.18, 2066/0.02 किता–2 कुल 0.20 है0 गत खसरा नम्बर 1649 रकबा 0.14 बिस्वा से बने है जो गत के मुकाबले 0.08 है0 वेशी है। हाल खसरा नम्बर 2065–2066 गैर मुमकिन भूमियां सिवायचक दर्ज रिकार्ड है। अर्थात पत्रावली के अवलोकन से यह साफ जाहिर है कि अपीलान्ट ने ऐसी किसी नकल जमाबन्दी

31.1.2023

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

रिकार्ड आफ राईटस को पेश नही किया गया है जिसमें वादग्रस्त खसरा नम्बर 1649 गैर मुमकिन आबादी मकबूजा वाशिन्दगान दर्ज हो अथवा आराजी ग्राम पंचायत के क्षेत्राधिकार में आती हो। अपीलान्ट ने ऐसे किसी नक्शा अक्स को भी पेश नही किया जिसमें आराजी आबादी दर्शित हो। वादग्रस्त आराजी बाबत सिविल कोर्ट ने भी अपने निर्णय में राज्य सरकार को पाबन्द किया है कि वह उसे बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये बेदखल नहीं करें। अपीलान्ट के पास गत खसरा नम्बर 1649 अथवा हाल खसरा नम्बर 2065–2066 का कोई भू0 रूपान्तरण पट्टा नही है न उसे पत्रावली पर पेश किया है। सिवायचक मकबूजा सरकार भूमि को अपीलान्ट बिना किसी विधिक अधिकार के हडपना चाहते है। इसलिऐ उन्हौने सिविल कोर्ट में व इसके बाद अदालत मातहत में भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत प्रार्थना पत्र पेश किया है। 136 एल आर एक्ट में गत पृविष्ठयों के अनुरूप प्रविष्टि शुद्ध करने का अनुतोष दिया जा सकता है परन्तु धारा 136 एल आर एक्ट के प्रार्थना पत्र में सरकारी कृषि भूमियों पर किसी अतिचारी के अधिकार सृजित नहीं किये जा सकते है। अपीलान्ट विवादग्रस्त भूमि पर केवल अतिचारी की हैसियत से है। नियमानुसार तहसीलदार को ऐसे अतिकमी के खिलाफ 90 ए. 91 एल आर एक्ट के तहत कार्यवाही की जानी चाहिऐ। तहत अदालत ने अपीलाधीन आदेश से अपीलान्ट के द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को प्रमाणित नहीं कर पाने के आधार पर प्रार्थना पत्र 136 एल आर एक्ट को खारिज किया गया है जो विधि–सम्मत है। अतः अपील अपीलान्ट बे–बुनियाद तथ्यों पर आधारित होने के कारण खारिज की जावे तहत अदालत का अपीलाधीन आदेश 12.04.2014 यथावत रखा जावे।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक तथा सरकारी पैरोकार की बहस सुनी गई तथा मनन किया गया। अपीलाधीन निर्णय संबंधी मूल पत्रावली का अवलोकन किया गया। उक्त प्रकरण में उपखण्ड अधिकारी भरतपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 12.04.2014 के विरूद्ध अदालत हाजा में अपील दिनांक 24.06.2014 को पेश किये जाने के कारण उक्त अपील मियाद संबंधी बिन्दु रिजर्व रखते हुए दर्ज रजिस्टर किया गया है। अतः प्रकरण के गुणावगुण पर विचार किये जाने से पूर्व मियाद संबंधी बिन्दु पर निर्णय किया जाना आवश्यक है। अपीलान्ट की ओर से मीमो आफ अपील के साथ दफा 5 लिमिटेशन एक्ट का प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र प्रस्तुत किया है जिसमें अपीलाधीन निर्णय की नकल दिनांक 20.05.2014 को प्राप्त होने परन्तु इसके बाद अपीलान्ट के पिताजी के अस्वस्थ होने के कारण अपील समय पर पेश नहीं करने व कानूनी प्रावधान के बारे में अभिभाषक से जानकारी होने के बाद जानकारी की तिथि से दिनांक 24.06.2014 को अन्दर मियाद अपील पेश किये जाने का उल्लेख किया गया है। इस प्रार्थना पत्र का रैस्पों0 की ओर से न तो कोई जवाब ही पेश किया गया है और न ही कोई काउन्टर शपथ पत्र ही प्रस्तुत किया गया है जिससे यह स्पष्ट होता हो कि अपीलान्ट को प्रार्थना पत्र में वर्णित

31.1.2023

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

दिनांक से पूर्व अपीलाधीन निर्णय की जानकारी रही हो। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत दफा 5 लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र में वर्णित तथ्यों पर विश्वास करते हुये अपील अपीलान्ट अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

जहां तक प्रकरण के गुणावगुण का प्रश्न है तो अपीलाधीन निर्णय दिनांक 12.04.2014 में प्रथम द्रष्ट्या किसी तरह की कोई अनियमितता या अवैधानिकता नजर नहीं आती है क्योंकि अपीलान्ट की ओर से न तो अदालत मातहत में और न ही अदालत हाजा में इस तरह का कोई दस्तावेज पेश किया गया है जिससे उनके इस कथन की पुष्टि होती हो कि विवादित खसरा नंबर 2065 व 2066 के साबिक खसरा नंबर 1649 की किस्म गैर मुमकिन आबादी रही हो। ग्राम पंचायत की खातेदारी में साबिक खसरा नंबर 1649 होने का भी कोई रिकार्ड प्रस्तुत नहीं किया गया। दूसरी ओर अदालत मातहत में सरकारी पैरोकार नायब तहसीलदार की ओर से प्रस्तुत जबाब में भी यह उल्लेख किया गया है कि प्रार्थी द्वारा ऐसा कोई रिकार्ड संलग्न नहीं किया जिससे भू–प्रबन्ध से पूर्व का साबिक खसरा नंबर 1649 गैर मुमकिन आबादी सिद्ध होता हो। ग्राम पंचायत के क्षेत्राधिकार का कोई रिकार्ड संलग्न नहीं है। हाल खसरा नंबर 2065/0.18 व 2066/0.02 कुल 0.20 साबिक खसरा नंबर 1649 किता 14 बिस्वा से बना है जो साबिक के मुताबिक 0.08 हैं0 बेसी है। हाल खसरा नंबर 2065 व 2066 गैर मुमकिन भूमियां सिवायचक दर्ज रिकार्ड है। भू–प्रबन्ध विभाग की बंदोबस्त जमाबन्दी सम्वत् 2043–60 व वर्तमान रिकार्ड के आधार पर प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का उल्लेख किया गया है। इसी प्रकार सिविल न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड भरतपुर की ओर से अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत दावा इस्तकरार हक व स्थायी निषेद्याज्ञा में भी दिनांक 10.12.2009 को जो निर्णय पारित किया गया है उसमें भी वादी/अपीलान्ट का वाद अंशतः स्वीकार किया जाकर इस प्रकार से डिक्री किया गया है कि राजस्व अभिलेख में दर्ज गत खसरा नंबर 1649 आबादी हाल खसरा नंबर 2065 व 2066 गैर मुमकिन आबादी को सक्षम न्यायालय में संशोधित कराने का अधिकारी माना है। इसी निर्णय में रैस्पों0 राज0 सरकार जरिये जिला कलक्टर को स्थायी निषेद्याज्ञा से पाबंद किया गया है कि वादी को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया अपनाये बिना विवादित भूखण्ड से बेदखल नहीं करें। इससे स्पष्ट है कि सिविल न्यायालय द्वारा भी अपीलान्ट का विवादित भूमि पर कोई विधिक स्वामित्व या कब्जा नहीं माना है। यद्यपि उक्त निर्णय के क्रम में अपीलान्ट द्वारा अदालत मातहत में राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था। इस प्रार्थना पत्र को विद्वान उपखण्ड अधिकारी भरतपुर द्वारा निर्णय दिनांक 12.04.2014 के द्वारा स्पष्ट व स्पीकिंग निर्णय पारित करते हुये निरस्त किया है। अपीलाधीन निर्णय पारित करने से पूर्व अपीलान्ट को सुनवाई का पर्याप्त व उचित अवसर दिया गया है। अपीलाधीन निर्णय में विद्वान उपखण्ड अधिकारी भरतपुर ने यह माना है कि भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत गत प्रविष्टि के अनुसार

31.1.2023

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

प्रविष्टि को शुद्ध करने का अनुतोष दिया जा सकता है परन्तु उक्त प्रार्थना पत्र के तहत सरकारी कृषि भूमि पर किसी अतिचारी के अधिकार सृजित नहीं किये जा सकते हैं। अदालत मातहत का उक्त अभिमत उचित प्रतीत होता है। यदि विवादित भूमि भू–प्रबन्ध विभाग की कार्यवाही से पूर्व गैर मुमकिन आबादी में दर्ज रही हों एवं भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा उक्त भूमि को गलत रूप से सिवायचक दर्ज कर दिया हो तो भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत उपखण्ड अधिकारी न्यायालय में प्रार्थना पत्र ग्राम पंचायत के द्वारा ही प्रस्तुत किया जा सकता है। यदि विवादित भूमि पर अपीलान्ट का ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 15.05.1986 को दी गई स्वीकृति के आधार पर मकान बना हुआ है या आबादी बसी हुई है तो राज्य सरकार की ओर से सिवायचक भूमि पर आवासीय प्रयोजनार्थ किये गये अतिक्रमण का नियमन किये जाने के संबंध में समय–समय पर जारी परिपत्र/अधिसूचनाओं के तहत संबंधित स्थानीय निकाय में कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र है। परन्तु राज0 भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत विवादित भूमि के संबंध में अपीलान्ट किसी प्रकार का कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। इसलिए विद्वान उप जिला कलक्टर भरतपुर द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 12.04. 2014 में हस्तक्षेप किये जाने का कोई औचित्य नहीं है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 12.04.2014 यथावत रखा जाता है।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 31.1.2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

(सांवर मल शर्मा)
संभागीय आयुक्त
भरतपुर

न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग, भरतपुर